



## छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19

नया, रायपुर (छ.ग.) 492002

ई-मेल- [hocecb@gmail.com](mailto:hocecb@gmail.com)

क्र.342) / सू.अ. / वैज्ञा. / छ.ग.प.सं.मं. / 2018 नया रायपुर, दिनांक 20/7 / 2018  
प्रति,

कुमारी सीमा साहू,  
अधिवक्ता सिविल कोर्ट (रायपुर),  
शहीद भगत सिंग चौक,  
जल गृह मार्ग,  
कीर्ति रूई भण्डार के सामने,  
टिकरापारा, रायपुर  
मो.- 8269423930

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत।

संदर्भ :- 1. मंडल मुख्यालय का पत्र क्रमांक 3080 दिनांक 11.07.2018.  
2. आपका पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 19.07.2018 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 5576 दिनांक 20.07.2018.


—: 00 :—

उपरोक्त विषयार्थगत संदर्भित पत्रानुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारी /दस्तावेज 07 पेजों की है। अतः नियमानुसार 2.00 रुपये प्रति पेज की दर से कुल रुपये 14.00 (चौदह रुपये मात्र) रसीद क्रमांक 10/106 दिनांक 19.07.2018 के द्वारा जमा किया गया है। जानकारी/दस्तावेज इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। मेसर्स एस.एम.एस. वाटर ग्रेस इन्वाइरो प्रोटेक्ट प्रा. लिमि. सिलतरा रायपुर को जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्राधिकार प्रदान किया गया है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पता  
श्री आर.पी. तिवारी अपीलीय  
अधिकारी एवं मुख्य अभियंता (प्रभार)  
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,  
पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19  
नया, रायपुर (छ.ग.) 492002

9e

  
(ए.के. त्रिवेदी)  
जन सूचना अधिकारी  
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,  
नया रायपुर (छ.ग.)

पत्रांक - ४ में अनुमोदनानुसार  
 उक्त संस्थान के संयुक्त जैव निष्कृष्ट  
 अपशिष्ट के उपचार / प्रयोग विधि  
 हेतु जारी प्राधिकार पत्र कृपया अवलोक्य  
 अनुमोदित / हस्ताक्षर प्रस्तुत है।



05/04/18

SSO

\* After on-line approval on dt. 3/4/18,  
 a copy of Draft Authorization and  
 are of demarcation for common facilities  
 located at Bilai and Raipur respectively  
 sir, please. Submitted for approval

5/4/18

Add Sec. sir.

The new BMWTF which was given  
 CTO in Siltara is being given authorization  
 for collecting, transportation, & Scientific  
 disposal of BMW waste from all the hospitals  
 in Raipur division only. For your approval &  
 sign pl.

05/04/18

MS

5/4

SSO

P. Issue

05/04/18

5/4/18

5/4/18

5/4/18

निवेदन पत्र सं. 309/10 B-5/4/18





छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर  
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD, RAIPUR

No. 309 /BMW/HO/CECB/2018

Raipur/Dated : 5/4/2018

To,

M/s SMS Watergrace Enviropact Pvt. Ltd.,  
P.H.No.-20, Kh. No.-70/(1,2,5),  
Village-Siltara, Dharsiwa,  
Distt.-Raipur (C.G.)

Sub: - Authorization under rule 10 of the Bio- Medical Waste Management Rules, 2016.


Ref: - Your Online Application no. 665365 dated 30/01/2018 & Subsequent correspondence ending dated 02/02/2018.

---:00:---

The Authorization under rule 10 of the Bio- Medical Waste Management Rules, 2016 for Common Bio-Medical Waste treatment facility at Village-Siltara, Dharsiwa, Distt.-Raipur is hereby granted for **one year** from the date of issue of this letter. This authorization is subject to the fulfillment of terms & conditions incorporated in the Authorization letter and additional conditions are enclosed herewith.

Please acknowledge the receipt of this letter.

Encl: - Authorization Form III

  
Member Secretary 5/4/18


Chhattisgarh Environment Conservation Board  
Raipur (C.G.)

Endt. No. 310 /BMW/HO/CECB/2018

Raipur/Dated : 5/4/2018

Copy to: -

1. HO, BMW Section, Chhattisgarh, Environment Conservation Board, Raipur (C.G.).
2. Regional Officer, Regional office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur (C.G.).

  
Member Secretary

Chhattisgarh Environment Conservation Board  
Raipur (C.G.)



114

**Form III**  
**(See rule-10)**

[Authorization for operating a facility for generation, collection, reception, treatment, storage, transport and disposal of bio-medical wastes]

1. File number ... 4 ..... of Authorization and date of issue 05/04/2018
2. M/s SMS Watergrace Enviroprotect Pvt. Ltd., P.H.No.-20, Kh. No.-70/(1,2,5), Village-Siltara, Dharsiwa, Distt.-Raipur (C.G.) an occupier or operator of the facility located at P.H.No.-20, Kh. No.-70/(1,2,5), Village-Siltara, Dharsiwa, Distt.-Raipur (C.G.) is hereby granted an Authorization to operate a facility for collection, reception, storage, transport, treatment and disposal of Common Bio-Medical Waste treatment facilities at the premises situated at P.H.No.-20, Kh. No.-70/(1,2,5), Village-Siltara, Dharsiwa, Distt.-Raipur (C.G.).
3. This Authorization shall be in force for a period of **One year** from the date of issue of the letter.
4. This Authorization is subject to the conditions stated below and other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act 1986.




Member Secretary 94118

Chhattisgarh Environment Conservation Board  
Raipur (C.G.)

**TERMS & CONDITIONS OF AUTHORIZATION**

1. The authorized person shall ensure various arrangement for proper Bio-Medical Waste Management with immediate effect as specified below:-
- a) Bio-Medical Waste shall not be mixed with other waste. Bio-Medical Waste shall be segregated in containers, bags in accordance with Schedule-II prior to its storage, transportation, treatment and disposal. The containers shall be labeled according to Schedule-III.
- b) Containers will be transported from the premises of Health Care Facilities where Bio-Medical Waste is generated to the CBWTF of the authorized person at Siltara near industrial area, Distt. Raipur.
2. The Bio-Medical Waste containing mercury due to breakage of thermometers, blood pressure equipment and other measuring equipment shall be collected separately and disposed off in the secured Landfill.
3. The occupier of the CBWTF shall submit an annual report in form-IV by 30<sup>th</sup> June every year to the Board.
4. The occupier shall take proper care and vigil for disposable items like gloves, syringes, plastic bottles, catheters etc. have to be shredded, cut or mutilated and ensures that they are not reused under any circumstances.
5. The incinerator installed by occupier in the facility shall comply with the standard for Dioxins and Furans as per the Bio- Medical Waste Management Rules, 2016.
6. The containers used for handling Bio-Medical Waste should be properly labeled to avoid confusion in handling & disposal of Bio-Medical Waste, therefore all containers should prescribed color and labeled properly.
7. The occupier shall maintain Autoclaving activities before incineration of Bio-Medical Waste, Waste Linen, Infected Cloths, Mattresses and other infected items. The record shall be maintained in the separate log-book.

  
जन सुचना अधिकारी  
राज्य सरकार - छ.



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर  
CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD, RAIPUR

8. The shredder should be properly designed and covered to avoid spillage and dust generation. It should be so designed, that it has minimum manual handling.
9. The open area within the CBWTF shall be covered under greenbelt.
10. The occupier of CBWTF shall maintain Bar Coding System as per BMW Management rule 2016.
11. Occupier of the CBWTF shall have separate generator for standby arrangement for power, with sufficient capacity to run the incinerator equipment during the failure of power supply. The generator set shall comply with the necessary requirements under the Environment (Protection) Rules, 1986.
12. The disposal site all around shall be covered by proper fencing within a period of 03 months.
13. Occupier shall maintain a Register/Log book on the disposal site to ensure the category wise record of Bio-medical waste to be disposed.
14. The Occupier shall essentially provide all safety equipments gumboots, nose mask, hand gloves etc to the workers engaged in the CBWTF/Disposal site.
15. Regular bleaching powder and lime shall be spread on the exposed waste disposed off at the proposed site to ensure prohibition of bio-infection.
16. The occupier of the CBWTF shall take necessary action for the treatment of effluent generated from common facility so as to meet the standards prescribed under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
17. The occupier of the CBWTF shall install Air Pollution Control Device with the incinerator along with Online Air Monitoring Equipment and shall be connect to the CECB server.
18. The occupier shall install GPS System in the all waste collection vehicles.
19. The occupier of CBWTF shall install Effluent Treatment Plant for treatment of waste water generated from the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility and separate log-book to be maintained.
20. The occupier shall develop website separately and the information must be uploaded along with the Annual Report by CBWTF.



Member Secretary

Chhattisgarh Environment Conservation Board

Raipur (C.G.)



Application Details

[print](#)**Date Time:** 02-02-2018 11:05 .**Note By:** RC(CECB058)**Forwarded To:** SSO**Activity:** Forward**Description:** प्रकरण SMS Watergrace Enviroprotect Pvt. Ltd., Vill.- Siltara Dharsiwa, Distt. Raipur (C.G.) द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्राधिकार हेतु आवेदन किया गया है। संस्थान से कमियों के संबंध में एवं क्षेत्रिय कार्यालय, रायपुर से निरीक्षण रिपोर्ट मंगाए जाने हेतु पत्र कृपया अवलो./आदेशार्थ प्रस्तुत है.**Date Time:** 02-02-2018 12:00**Note By:** SSO(CECB015)**Forwarded To:** RO Raipur**Activity:** Forward**Description:****Activity:** Clarification [View Report](#)**Description:** Please send the required information sought on the letter**Activity:** Inspection [View Report](#)**Description:** Kindly inspect the hospital and report to HO Raipur.**Date Time:** 04-02-2018 08:46**Note By:** Industry**Forwarded To:** RO Raipur**Activity:** Forward [View Document](#)**Description:** compliance letter**Date Time:** 04-02-2018 08:47**Note By:** Industry**Forwarded To:** RO Raipur**Activity:** Forward [View Document](#)**Description:** compliance letter**Date Time:** 26-02-2018 12:11**Note By:** RO Raipur(CECB013)**Forwarded To:** RO Raipur**Activity:** Forward**Description:****Activity:** Inspection**Description:****Date Time:** 26-02-2018 12:12**Note By:** RO Raipur(CECB013)**Forwarded To:** SSO**Activity:** Forward**Description:****Activity:** Inspection Closed [View Report](#)**Description:** Please find the IR.**Date Time:** 26-02-2018 12:39**Note By:** SSO(CECB015)

स्वीकारित  
  
 जन सूचना अधिकारी  
 पर्यावरण विभाग

Note History

**Forwarded To:** RC

**Activity:** Forward

**Description:** Please check and put up.

**Date Time:** 26-02-2018 04:08

**Note By:** RC(CECB058)

**Forwarded To:** SSO

**Activity:** Forward

**Description:** प्रकरण SMS Watergrace Enviroprotect Pvt. Ltd., Vill.- Siltara Dharsiwa, Distt. Raipur (C.G.) द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार/व्ययन सुविधा हेतु प्राधिकार के संबंध में है। संस्थान को अपशिष्ट उपचार/व्ययन सुविधा हेतु मंडल से दिनांक 29/01/2018 के द्वारा जल/वायु सम्मति प्राप्त है। संस्थान के लागतानुसार प्राधिकार शुल्क MSCECB Raipur के नाम पर 10,000, DD No. 680319 दिनांक 25/01/2018 एवं इस कार्यालय का MR No. 71/103 दिनांक 02/02/2018 प्राप्त है, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान हेतु 02टन@दिन के लिए प्राधिकार में अनुशंसा सहित निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त है। अतः उक्त नियम के तहत पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष के लिए प्राधिकार जारी करने के सम्बन्ध में प्रकरण कृपया अवलो./अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**Date Time:** 26-02-2018 05:08

**Note By:** SSO(CECB015)

**Forwarded To:** MS

**Activity:** Forward

**Description:** प्रकरण SMS Watergrace Enviroprotect Pvt. Ltd., Vill.- Siltara Dharsiwa, Distt. Raipur (C.G.) द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार/व्ययन सुविधा (CBWTF) हेतु प्राधिकार के संबंध में है। संस्थान को अपशिष्ट उपचार/व्ययन सुविधा हेतु पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर से दिनांक 29/01/2018 के द्वारा जल/वायु सम्मति प्रदान की गई है। संस्थान की लागतानुसार प्राधिकार शुल्क MSCECB Raipur के नाम पर 10,000, DD No. 680319 दिनांक 25/01/2018 एवं इस कार्यालय का MR No. 71/103 दिनांक 02/02/2018 प्राप्त है, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान हेतु 02टन@दिन के लिए प्राधिकार में अनुशंसा सहित निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त है। रायपुर संभाग के अंतर्गत स्थापित स्वास्थ्य इकाईयो से उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्टों के निपटान हेतु इन्सिनरेटर की सुविधा स्थापित है। अतएव रायपुर संभाग में क्रमशः 75KM के दायरे में स्थित HCFs को इस सुविधा से जोड़ा जाना अनिवार्य है। ताकि अपशिष्टों का निपटान आधुनिक पद्धति से किया जा सके, नये नियम 2016 के तहत पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष के लिए प्राधिकार जारी करने के सम्बन्ध में प्रकरण कृपया अवलो./अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**Date Time:** 01-03-2018 05:09

**Note By:** MS(CECBMS002)

**Forwarded To:** Additional Secretary

**Activity:** Forward

**Description:** Please consider the above application and advise

**Date Time:** 03-03-2018 11:21

**Note By:** Additional Secretary(CECBDMS)

**Forwarded To:** MS

**Activity:** Forward

**Description:** May like to consider for the authorization of the facility for one year., regarding the distance of the HCFs to be covered from the facility, it shall go upto 75 kms radius and shall share half the distance where it overlaps with the existing CBWTF.. PL.

**Date Time:** 03-03-2018 11:33

**Note By:** MS(CECBMS002)

**Forwarded To:** Chairman

**Activity:** Forward

**Description:** May like to approve the authorization of the Common Biomedical Waste Management facility for one year., Regarding the distance of the Health care facilities to be covered from the facility, it shall cover upto 75 kms radius and shall share the HCFs (according to its capacity) where it overlaps with the existing CBWTF.. PL.

**Date Time:** 02-04-2018 02:00

**Note By:** Chairman(CECBCM001)

स्वीकृत  
  
 न सूचना अधिकारी  
 रायपुर

Note History

Forwarded To: MS

Activity: Forward

Description: as proposed

Date Time: 03-04-2018 05:13

Note By: MS(CECBMS002)

Forwarded To: Additional Secretary

Activity: Forward

Description: put up letter for sign.

Date Time: 04-04-2018 12:37

Note By: Additional Secretary(CECBDMS)

Forwarded To: SSO

Activity: Forward

Description: put up letter for sign.

Date Time: 04-04-2018 02:17

Note By: SSO(CECB015)

Forwarded To: RC

Activity: Forward

Description: Please put up fair copy.

पर्याप्त  
चिन सुचना अधिकारी  
२०१८

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

Received Rs. 14,000  
DD/Ch: No./Cash \_\_\_\_\_ Dt. 19/07/18  
MR No. 10/100 Dt. 19/07/18

सेवा में:-

*[Signature]*  
Sr. Accountant

श्रीमान जन सूचना अधिकारी  
हरीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल  
पर्यावास भवन नार्थ ब्लॉक सेंटर-19  
नया रायपुर (छ.ग.)



संदर्भ

अपका प्रस क्रमांक / 3080 / सु.अ / वृत्त  
छ.ग. प.स.म. / 2018

विषय - सूचना अधिकार की नगद राशि  
जमा हेतु।

मान्यवर

आपके पत्र के आधारे पर आज  
दिनांक आपके कार्यालय में नगद  
राशि 14,000 (चौदह हजार मात्र) जमा करा दिया  
गया है।

वृत्त जानकारी उपलब्ध कराने को कलंकते,

*[Signature]*  
आयुक्त

कुमारी शीमा राहु  
उपनिवेशिका सिविल कोर्ट (रायपुर)  
जल गट्टे मार्ग कीर्ति रुई भंडार  
के सामने टिकरापारा रायपुर  
मो. 8269423930



## छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19

नया, रायपुर (छ.ग.) 492002

ई-मेल- [hocecb@gmail.com](mailto:hocecb@gmail.com)

क्र. 3080 / सू.अ. / वैज्ञा. / छ.ग.प.सं.मं. / 2018

नया रायपुर, दिनांक 11/7/2018

प्रति,

✓ कुमारी सीमा साहू,  
अधिवक्ता सिविल कोर्ट (रायपुर),  
शहीद भगत सिंग चौक,  
जल गृह मार्ग,  
कीर्ति रूई भण्डार के सामने,  
टिकरापारा, रायपुर  
मो.- 8269423930

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 02.07.2018 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 4866 दिनांक 03.07.2018.

---: 00 :---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार चाही गई जानकारी, दस्तावेज कुल 07 पेजों की है। अतः 2.00 रुपये प्रति पेज की दर से कुल रुपये 14.00 (चौदह रुपये मात्र) सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के नाम देय डी.डी./नगद/पोस्टल आर्डर के रूप में इस कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें, ताकि जानकारी प्रदाय की जा सके।

(ए. के. त्रिवेदी)

जनसूचना अधिकारी

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

नया रायपुर (छ.ग.)



## छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19

नया, रायपुर (छ.ग.) 492002

ई-मेल- hocecb@gmail.com

क्र. 3080 / सू.अ. / वैज्ञा. / छ.ग.प.सं.मं. / 2018

नया रायपुर, दिनांक 11/7/2018

प्रति,

कुमारी सीमा साहू  
अधिवक्ता सिविल कोर्ट (रायपुर),  
शहीद भगत सिंह चौक,  
जल गृह मार्ग,  
कीर्ति रूई भण्डार के सामने,  
टिकरापारा, रायपुर  
मो.- 8269423930

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 02.07.2018 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 4866 दिनांक 03.07.2018.

—:: 00 ::—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार चाही गई जानकारी, दस्तावेज कुल 07 पेजों की है। अतः 2.00 रुपये प्रति पेज की दर से कुल रुपये 14.00 (चौदह रुपये मात्र) सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के नाम देय डी.डी./नगद/पोस्टल आर्डर के रूप में इस कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें, ताकि जानकारी प्रदाय की जा सके।

(ए. के. त्रिवेदी)

जनसूचना अधिकारी

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

नया रायपुर (छ.ग.)

प्रति,

जन सूचना अधिकारी  
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल  
मुख्यकार्यालय पर्यावास भवन  
सेक्टर 19, नया रायपुर (छ.ग.)

Received Rs. 10=00  
DD/Ch: No./Cash Cash Dt. 03/07/18  
MR No. 01/106 Dt. 03/07/18  
Accountant  
Sr. Accountant

दिनांक : 02.07.2018



विषय :- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत जानकारी प्रदान करने हेतु आवेदन ।

1. आवेदक का नाम एवं फोन नं. : कुमारी सीमा साहू 8269423930
2. आवेदक का पता : शहीद भगत सिंग चौक, जल गृह मार्ग, कीर्ति  
रूई भण्डार के सामने टिकरापारा रायपुर
3. चाही गयी जानकारी का विवरण :

महोदय,

निवेदन है कि मेसर्स एस.एम.एस. वाटर ग्रैस इन्वायरो प्रोजेक्ट प्रा. लिमिटेड , ग्राम सिलतरा, ब्लाक धरसीवा खसरा नं. 70/1,70/2, 70/5 जिला रायपुर को ठोस जिव चिकित्सा अपशिष्ट निवारण इकाई के संचालन हेतु प्राधिकार (Authorization) प्रदान किया गया है ।

यदि उक्त कम्पनी को प्राधिकार (Authorization) प्रदान किया गया है तो कृप्या कर प्राधिकार (Authorization) की सत्यापित छायाप्रति (फोटोकॉपी) एवं प्राधिकार प्रदान करने से सम्बंधित समस्त नोटशीट की सत्यापित छायाप्रति (फोटोकॉपी) उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

क्या एस.एम.एस. वाटर ग्रैस इन्वायरो प्रोजेक्ट प्रा. लिमिटेड को प्राधिकार ठोस जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 2016 के तहत प्रदान किया गया है अथवा नहीं कृप्या कर इसकी भी पुष्टि करने का कष्ट करें ।

धन्यवाद

शुल्क आपके कार्यालय में नगद जमा करा दिया गया है ।

श्री रायपुर  
3/7/18

प्राथी

कुमारी सीमा साहू

अधिवक्ता सिविल कोर्ट (रायपुर)

शहीद भगत सिंग चौक,

जल गृह मार्ग, कीर्ति रूई भण्डार के सामने

टिकरापारा रायपुर

मो. 8269423930



## छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19

नया, रायपुर (छ.ग.) 492002

ई-मेल- [hocecb@gmail.com](mailto:hocecb@gmail.com)

क्र.1186 /सू.अ./वैज्ञा./छ.ग.प.सं.म./2018

नया रायपुर, दिनांक 28/4 /2018

प्रति,

कुमारी सीमा साहू,  
अधिवक्ता सिविल कोर्ट (रायपुर),  
शहीद भगत सिंग चौक,  
जल गृह मार्ग,  
कीर्ति रूई भण्डार के सामने,  
टिकरा पारा, रायपुर  
मो.- 8269423930

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 11.04.2018 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 398 दिनांक 11.04.2018.

---: 00 :---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार आपके द्वारा मेसर्स एस.एम.एस. वाटर ग्रेस इन्वायरो प्रोटेक्ट प्रा. लिमिटेड, ग्राम-सिलतरा, ब्लाक धरसीवा खसरा नं. 70/1, 70/2, 70/5 जिला-रायपुर के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में चाही गई जानकारी निरंक है।

(ए. के. त्रिवेदी)

जनसूचना अधिकारी  
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,  
नया रायपुर (छ.ग.)

ok

Received Rs. 10/- by cash  
D.D./Ch. No. Cash. Dt. 11/4/18  
MR. No. 66/104 Dt. 11/4/18  
Dealing Clerk Sr. Accountant



सेवा में

सेवा में

श्रीमान जन सूचना अधिकारी  
मुख्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल  
पर्यावास भवन , नया रायपुर (छ.ग.)

दिनांक : 11.04.2018


विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने हेतु आवेदन ।

1. आवेदक का नाम एवं फोन नं. : कुमारी सीमा साहु , 8269423930
2. आवेदक का पता : कुमारी सीमा साहु , अधिवक्ता सिविल कोर्ट (रायपुर)  
शहीद भगत सिंह चौक , जल गृह मार्ग, कीर्ति रूई भण्डार के  
सामने, टिकरा पारा , रायपुर
3. चाही गई जानकारी का विवरण :  
मेसर्स एस.एम.एस. वाटर व्हेस इन्वायरो प्रोटेक्ट प्रा. लिमिटेड ग्राम सिलतरा, ब्लॉक धरसीवा खसरा नं.  
70/1,70/2,70/5 जिला रायपुर को ठोस जीव चिकित्सा अपशिष्ट निवारण इकाई हेतु आपके कार्यालय  
द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है अथवा नहीं ।

यदि प्रदान की गई है तो कृपया पर्यावरणीय स्वीकृति की सत्यापित छायाप्रति एवं उक्त पर्यावरणीय  
स्वीकृति से सम्बंधित सभी दस्तावेज एवं सम्पूर्ण नस्ती की सत्यापित छायाप्रति प्रदान करने का कष्ट करें ।  
शुल्क आपके कार्यालय में नगद जमा करा दिया गया है ।

धन्यवाद

प्राथी

  
कुमारी सीमा साहु

अधिवक्ता सिविल कोर्ट (रायपुर)  
शहीद भगत सिंह चौक  
जल गृह मार्ग, कीर्ति रूई भण्डार के  
सामने, टिकरा पारा , रायपुर





## छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19

नया, रायपुर (छ.ग.) 492002

ई-मेल- [hocecb@gmail.com](mailto:hocecb@gmail.com)

क्र. 1187/सू.अ./वैज्ञा./छ.ग.प.सं.मं./2018

नया रायपुर, दिनांक 28/4/2018

प्रति,

कुमारी सीमा साहू,  
अधिवक्ता सिविल कोर्ट (रायपुर),  
शहीद भगत सिंग चौक,  
जल गृह मार्ग,  
कीर्ति रूई भण्डार के सामने,  
टिकरा पारा, रायपुर  
मो.- 8269423930

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराये जाने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 11.04.2018 इस कार्यालय में आवक क्रमांक 397 दिनांक 11.04.2018.

---: 00 :---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार आपके द्वारा मेसर्स एस.एम.एस. वाटर ग्रेस इन्वायरो प्रोटेक्ट प्रा. लिमिटेड, ग्राम-सिलतरा, ब्लॉक धरसीवा खसरा नं. 70/1, 70/2, 70/5 जिला-रायपुर के संबंध में उक्त संस्थान को बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के संचालन सम्मति प्रदान किये जाने के संबंध में लेख है कि उक्त संस्थान को वर्ष 2012 (दिनांक 31.03.2012) को मंडल द्वारा स्थापना सम्मति जारी की गई थी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.04.2015 के दायरे में नहीं आने के कारण उक्त संस्थान को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

o/c

(ए. के. त्रिवेदी)

जनसूचना अधिकारी  
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,  
नया रायपुर (छ.ग.)

Received Rs. 10/- by cash  
D.D./Ch. No. 397 Dt. 11/4/18  
MR. No. 66/104 Dt. 11/4/18  
Dealing Clerk Sr. Accountant



सेवा में

दिनांक : 11.04.2018

सेवा में  
श्रीमान जन सूचना अधिकारी  
मुख्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल  
पर्यावास भवन , नया रायपुर (छ.ग.)

विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्रदान करने हेतु आवेदन ।

1. आवेदक का नाम एवं फोन नं. : कुमारी सीमा साहु , 8269423930
2. आवेदक का पता : कुमारी सीमा साहु , अधिवक्ता सिविल कोर्ट (रायपुर)  
शहीद भगत सिंह चौक , जल गृह मार्ग, कीर्ति रूई भण्डार के  
सामने, टिकरा पारा , रायपुर
3. चाही गई जानकारी का विवरण :  
मेसर्स एस.एम.एस. वाटर ब्रेस इन्वायरो प्रोटेक्ट प्रा. लिमिटेड ग्राम सिलतरा, ब्लाक धरसीवा खसरा नं.  
70/1,70/2,70/5 जिला रायपुर को ठोस जीव चिकित्सा अपशिष्ट निवारण इकाई को संचालन हेतु आपके  
कार्यालय द्वारा बीना पर्यावरणीय स्वीकृति के संचालन की सूविधा प्रदान कर दी गई है , कृप्या कर जानकारी  
उपलब्ध कराने का कष्ट करे की किरस नियम के अंतर्गत उक्त फर्म / कम्पनी को पर्यावरणीय स्वीकृति कि छुट  
आपके कार्यालय द्वारा दी गई है । एवं पर्यावरणीय स्वीकृति उक्त फर्म / कम्पनी के लिए क्यो अनिवार्य नही है  
जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।

शुल्क आपके कार्यालय में नगद जमा करा दिया गया है ।

प्राथी

धन्यवाद

कुमारी सीमा साहु

अधिवक्ता सिविल कोर्ट (रायपुर)

शहीद भगत सिंह चौक

जल गृह मार्ग, कीर्ति रूई भण्डार के

सामने, टिकरा पारा , रायपुर